



यू०पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लॉक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com

परिपत्र संख्या : 2016-19/89/2017

दिनांक : 10.10.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

01.10.16 से 30.09.2017 की अवधि के लिए समूह चिकित्सा बीमा योजना के अन्तर्गत दावे

उपरोक्त विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र पत्र संख्या 28/39/2017/39 दिनांक 09.10.17 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

विषय : 01.10.16 से 30.09.2017 की अवधि के लिए समूह चिकित्सा बीमा योजना के अन्तर्गत दावे

इकाईओं को ज्ञात है कि सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी 01.10.2016 से 30.9.2017 तक थी। योजना 1.10.2017 से 30.9.2018 तक अगले वर्ष के लिए नवीनीकृत की गई है।

सामान्यतः, पॉलिसी के तहत, अस्पतालीकरण व्यय के सभी बिलों का प्रतिपूर्ति के लिए 30 दिनों के भीतर दावा किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जहां कुछ कर्मचारी समय से बिल प्रस्तुत नहीं कर सके और इसलिए इन बिलों को यूआईआईसी द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

इन मुद्दों को यूआईआईसी के साथ उठाया गया था और हमें सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि यूआईआईसी ने सहमति व्यक्त की है और एक विशेष मामले के रूप में ऐसे सभी बिलों पर विचार करने के लिए आगे आए हैं जो अक्टूबर, 2016 से सितम्बर, 2017 की अवधि के दौरान किसी कारण से प्रस्तुत नहीं किये जा सके प्रतिपूर्ति के लिए अब स्वीकार किये जाने हैं। बिलों को टीपीए/बैंकों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है :

- 15/11/2017 को या उससे पहले अथवा
- अस्पताल से छुट्टी की तिथि से 30 दिन अथवा
- अस्पतालीकरण के उपरांत 30 दिन, जो भी बाद की तिथि हो

इकाईओं से अनुरोध किया जाता है कि हमारे सदस्यों की जानकारी के लिए इसे हमारी आधार यूनियनों को सूचित करें जिससे कि ऐसे बिलों को अब प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जा सके।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह०..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

From: UNITED INDIA

4 October 2017

To all Banks

Subject: SUBMISSION OF CLAIM DOCUMENTS FOR THE POLICY PERIOD 2016-17

Sir/Madam,

As you are aware the employee group health insurance policy has expired on 30/09/2017. As per the policy condition, claim documents are to be submitted within 30 days of discharge or treatment taken (OPD) or post hospitalization. However some of the employees due to unavoidable circumstances which are beyond their control might not be able to submit the claim occurred during the period from 01/10/2016 to 30/09/2017 on time. For all such employees we are pleased to give one more opportunity to submit the claim documents with the following timelines. The below timeline is also for those who have claim during the fag end of the policy.

1. On or before 15/11/2017 OR
2. 30 days from the date of discharge OR
3. 30 days from the date of post-hospitalisation,

whichever falls later.

We seek your co-operation in this regard and request you to communicate to all your employees to use this final opportunity for submission of claims under 2016-17 policy. While submitting such old claims, please advise the employees to submit an explanation detailing the extreme case of hardship which resulted in the delay and the same may be forwarded to the TPA duly endorsed by the claim nodal officer of the bank. You will appreciate that we are giving 45 days of extension for submission of claims occurred right from the beginning of the policy period i.e 01/10/2016 and it will be extremely inconvenient and difficult for us to accept any claim submitted beyond the above time limits.

Once again seeking your co-operation and assuring you of our best attention always.

PC Sreekumar
IBA Cell In-charge
